Sub. C2 - Contemporary India and Education

शिक्षा के व्यवसायीकरण पर आयोग के सुझाव -:

आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा पर निम्न सुझाव दिए —

(i) पाठ्यक्रम का विविधीकरण की व्यवस्था के साथ सामान्य एवं विशिष्ट विषयों के शिक्षण की व्यवस्था।

(ii) विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हेतु बहु-उद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना।

(iii) शैक्षिक निर्देशन को उपयोगी एवं सुविधापूर्ण बनाया जाये।

माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवायें -

विषयों के चयन में कठिनाई को देखते हुए बालकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिए —

(i) विद्यालयों में निर्देशन अधिकारी की नियुक्ति की जाये।

(ii) शैक्षिक निर्देशन के साथ-2 व्यवसाय पर आधारित "जीविकोपार्जन सम्मेलन" का आयोजन समय-2 पर किया जाये।

(iii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना की जाये।

(iv) प्रत्येक प्रदेश में राजकीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एवं निर्देशन ब्यूरो खोले जायें।

मुदालियर आयोग के गुण -

(i) माध्यमिक शिक्षा की नवीन व्यवस्था-पर आधारित व व्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचा —

(ii) शिक्षा के व्यापक उद्देश्य

(iii) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा

(iv) शिक्षकों की दशा में सुधार.

(v) परीक्षा प्रणाली व मूल्यांकन में सुधार

(vi) चरित्र निर्माण एवं अनुशासन पर बल.

(vii) बहुउद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना

Scanned with CamScanner

Sub- C2,
Contemporary India and Education

माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission)

मुदालियर आयोग के दोष- (Demerits of Mudaliar Comm.)

आयोग ने तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अपने सुझाव दिये थे। जो आज की परिस्थितियों में कुछ सुझाव अनुपयुक्त हैं जो इस प्रकार है।

(i) माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन –: आयोग ने एक और 'नवकी' की माध्यमिक शिक्षा की बात कही है दूसरी ओर 6, 7, 8 कक्षा को निम्न तथा 9, 10, 11 कक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा में बदकर '6 वर्ष' की शिक्षा की बात की।

(ii) बोझिल पाठ्यचर्या –: (Burden Curriculum). माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं सहित आठ विषयों के अध्ययन से पाठ्यक्रम बोझिल बन गया।

(iii) भ्रामक भाषा नीति –: (Confusing Language Policy)।

आयोग की भाषा नीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह स्वयं भाषा से संशंकित था। सभी सदस्यों में से हिन्दी के प्रति एक भी सदस्य समर्थक नहीं था। अंग्रेजी के प्रति उलझे सुझाव, तथा अनिवार्य विषय में रखना।

(iv) बहु-उद्देश्यीय स्कूलों की स्थापना – Established very objective school – आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देश्यीय विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया। इस पर व्यय का अनुमान आयोग नहीं लगा पाया। जिससे यह संस्तुति अव्यवहारिक थी।

आयोग का माध्यमिक शिक्षा पर होने वाला प्रभाव (Impact of Commission on Secondary Education)

भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में गठित 'मुदालियर आयोग' सबसे अधिक वास्तविक व व्यवहारिक है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) के सभी सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षों पर विचार किया। आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने 1955 में "अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद" का गठन किया। आयोग ने शिक्षा को उपयोगी बनाने हेतु प्राच्य एवं पाश्चात्य का सुन्दर समन्वय किया।

इन समस्त पहलुओं को देखकर कहा जा सकता है कि आयोग ने अपने सुझाव माध्यमिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु दिये।

Scanned with CamScanner

Sub. C2. (Contemporary India and Education)

शिक्षा का सार्वभौमीकरण
(Universalization of Education)

लोकतान्त्रिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा (प्राथमिक) प्रदान करना अनिवार्य है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि 6–14 वर्ष आयु के बच्चों कक्षा-1 से 8 तक की अनिवार्य और निःशुल्क (~~Compl~~ Free and Compulsory) शिक्षा सुलभ हो।

(A) सार्वभौमीकरण (Universalization) :–

सार्वभौमीकरण का तात्पर्य सर्वव्यापीकरण ~~अथवा~~ से है। जिसके अनुसार —

सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य, प्रत्येक बालक विद्यालय जाये, रहे, और शिक्षा प्राप्त करे।

" सार्वजनीन शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमे सभी को प्रजाति, धर्म, लिंग या योग्यताओं के भिन्नताओं के बावजूद शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

"Universal Education: System of Education extending opportunities to all regardless of race, creed, sex of & ability".

(B) भारत में सार्वभौमिक शिक्षा का विकास :–
Development of Universal Education in India –

भारत सरकार द्वारा अगस्त 1985 में प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत में सार्वजनीन शिक्षा के विकास की उपलब्धियों तथा चुनौतियों का [illegible] निम्न प्रस्तुत किया गया जो निम्न है —

(i) संविधान की धारा 45 की अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य का संकल्प सम्भव नहीं हो पाया।

(ii) 1981 की जनगणना के अनुसार [illegible] आयु के बच्चों में 15 करोड़ में मात्र 9.3 करोड़ बच्चे ही विद्यालय पहुंच सके।

(iii) 1985 में स्थिति यह थी कि [illegible] बस्तियों में प्राथमिक शाला नहीं थी। 40% शालाओं में पक्के कमरे, ब्लैकबोर्ड, पीने के पानी, तथा एक अध्यापक था जो 3 या 4 भिन्न कक्षाओं को पढ़ाता था।

(iv) प्रथम कक्षा में भर्ती होने वाले प्रत्येक [illegible] बच्चों में 23 बच्चे ही कक्षा 8 तक पहुंच पाते।

(v) अनुसूचित जातियों में नामांकन बढ़ने के फलस्वरूप दो बातें सामने आयीं।
(a) लड़कियों का नामांकन काफी कम।
(b) अन्य वर्गों की तुलना में नामांकन अधिक रहा।

Sub - C2 - Contemporary India and Education

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
Universalization of Elementary Education

सार्वभौमिक शिक्षा के विकास में बाधा :—
सार्वभौमिक शिक्षा के विकास में निम्न बाधाएं है।

जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि :—
Continued Increase in Population :
परिवार नियोजन के देश व्यापी चलने के बावजूद हमारे देश की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। अत: 1.30 अरब लगभग जनसंख्या वाले राष्ट्र में सार्वजनीन शिक्षा का मार्ग लगभग कठिन हो जाता है।

आर्थिक संसाधनो की कमी —:
(Lack of economic Resources):
शिक्षा जगत में मानव निर्माण होता है जो मानवीय एवं भौतिक संसाधनो द्वारा होता है जिसे संचालित करने हेतु आर्थिक संसाधनो का मजबूत और भरपूर होना नितान्त आवश्यक है। भारत जैसे राष्ट्र में आर्थिक संसाधनो की कमी है।

शैक्षिक नीति का सही न होना :—
Education Policy not being Correct :
भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर नही। यह ध्यान देने योग्य बात है भारत में समानता व लोककल्याण लाना है तो उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा (सार्वजनीन) लाना आवश्यक है। नि: सन्देह शिक्षा पर हमारी नीतियां असफल रही है।

(B) प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए उठाये गये कदम :—
भारत में सार्वजनीन शिक्षा के उन्नयन हेतु निम्न प्रयास किए गये।

(i) नि: शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा :— (Free and Compulsory Education)
संवैधानिक रूप से भारत मे सभी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य कर दी गयी है।

(ii) पर्याप्त विद्यालयों की व्यवस्था :— ग्रामीण व दुरवर्ती क्षेत्रो में भी पर्याप्त विद्यालय खोले गये है। विद्यालय क्रमश: आबादी व दूरी को ध्यान मे रखकर अवस्थित किये गये है।

(iii) बालिकाओ के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था :—
(iv) अध्यापको की व्यवस्था :—
(v) नर्सरी कक्षा एवं आंगनवाड़ी केन्द्र :—
(vi) मुफ्त पुस्तके, वर्दी एवं मध्यान्ह भोजन—

Scanned with CamScanner

सार्वभौमिक शिक्षा के मानदण्ड :—
(Universal Education norms)

नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में निम्न लिखित तीन मानदण्ड रखे गये।

(i) सर्वव्यापी पहुंच तथा नामांकन —:
(Universal Access and Enrolment)

जनसंख्या विस्फोट ने समस्त प्रयासों एवं उपलब्धियों को अर्थहीन बना दिया है। NPE 1986 की कार्ययोजना में सभी राज्यो से कहा गया कि 300 आबादी वाले ~~क्षेत्र~~ क्षेत्रो मे एक प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।

नामांकन का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चो को विद्यालय में प्रवेश दिलाने से है।

सर्वव्यापी पहुंच में सभी बच्चो - लड़कियो, दिव्यांगो, SC, ST के सभी बच्चों को प्रवेश तथा शिक्षा (6से8) दिलाना हैं।

(ii) सर्वव्यापी धारणा (Universal Retention) —:

प्रत्येक नामांकित बच्चे कों तब तक रोका जायें विद्यालय में जब तक कि वह विहित आयु और पाठ्यक्रम पूरा न कर ले।

दूसरे शब्दों में, बच्चा प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक विद्यालय में बना रहे।

सामान्यतः यह देखा गया है अनेक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते है। अतः सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रवेश / नामांकित बच्चे को कक्षा 8 तक विद्यालय में रोके रखना है।

(iii) सर्वव्यापी उपलब्धि :— (Universal Achievement)

(i) अधिगम के न्यूनतम स्तरो (Minimum Levels of Learning) का विस्तार।

(ii) विद्यालयीय संरचना, शिक्षक, शिक्षा अधिगम वस्तु आदि में संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास।

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (National Curriculum) का विकास किया जाये।

इस प्रकार सर्वव्यापी उपलब्धि से तात्पर्य बच्चा अपनी आयु एवं कक्षा के न्यूनतम ज्ञान की जानकारी रखता हो। स्कूल पास होने के उपरान्त भी यह आवश्यक है।